डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी डाक
द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.
अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-म. प्र.
पूर्व भुगतान-भोपाल-06-08.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र. 108-भोपाल/06-08.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 12] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 23 मार्च 2007—चैत्र 2, शक 1929

भाग ४

विषय-सूची

(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम.
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अन्तिम नियम.

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

(माध्यमिक शिक्षा मण्डल, शिक्षक कल्याण कोष विनियम 2005)

भोपाल, दिनांक 2 मार्च 2007

क्र. 129-विधी-2007.—मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1965 (क्रमांक 23 वर्ष 1965) की धारा 28 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश एतद्द्वारा माध्यमिक शिक्षा मण्डल, शिक्षक कल्याण कोष विनियम 2005 बनाये जाकर उन समस्त व्यक्तियों की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है. जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है. यह विनियम मध्यप्रदेश राज्य शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के ज्ञाप क्रमांक 2391-1356-20-3-2006, दिनांक 13 नवम्बर 2006 द्वारा अनुमोदित है.

अध्याय-1 संक्षिप्त नाम विस्तार तथा प्रारम्भ

यह नियम ''माध्यमिक शिक्षा मण्डल शिक्षक कल्याण कोष नियम, 2005 कहलाएंगे तथा 01 जनवरी 2007 से प्रभावशील होंगे एवं इनका विस्तार क्षेत्र सम्पूर्ण मध्यप्रदेश होगा.

अध्याय-2 परिभाषा

1. इन विनियमों में जब तक कि कोई बात विषय या प्रसंग के विपरीत न हो,—

(क) ''मण्डल'' से तात्पर्य मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1965 के दूसरे अध्याय की धारा-3 के अन्तर्गत स्थापित माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल से है.

(ख) ''समिति'' से तात्पर्य शिक्षक कल्याण कोष समिति से है जो माध्यमिक शिक्षा मण्डल शिक्षक कल्याण कोष विनियम, 2005 के अध्याय-4 के अन्तर्गत स्थापित की जाएगी.

(ग) ''सभापति'' से तात्पर्य मण्डल के सभापति से है.

(घ) ''सचिव'' से तात्पर्य मण्डल के सचिव से है.

(ङ) ''शिक्षक'' से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो मण्डल की मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था में किसी भी रूप में कम से कम 05 वर्ष का शैक्षणिक कार्य पूर्ण कर चुका हो.

(च) ''आश्रित'' से तात्पर्य केवल शिक्षक/शिक्षिका के पति/पत्नि से अथवा उसके अवयस्क पुत्र-पुत्री से हैं.

(छ) ''मान्यता प्राप्त संस्थाओं'' से तात्पर्य मध्यप्रदेश की उन शिक्षा संस्थाओं से हैं जो ''माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, विनियम 1965'' के अध्याय 11 के उपबन्धों के अधीन मण्डल द्वारा मान्यता प्राप्त है.

(ज) ''राज्य'' से तात्पर्य सम्पूर्ण मध्यप्रदेश से है.

(झ) ''वर्ष'' से तात्पर्य 1 अप्रैल से प्रारम्भ होकर 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से है.

(क्ष) ''कोष'' से तात्पर्य इन विनियमों के अन्तर्गत स्थापित शिक्षक-कल्याण कोष से है.

अध्याय-3 उद्देश्य

(1) ऐसे शिक्षकों अथवा उनके आश्रितों को सहायता करना जिन्हें आपदाग्रस्त होने के कारण आर्थिक सहायता की आवश्यकता हो.

(2) ऐसी गतिविधियों एवं कार्यकलापों का संचालन जो समिति के विचार में राज्य की शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों के शिक्षण कार्यों के उत्कर्ष में सहायक हो.

अध्याय- 4 समिति का गठन एवं कार्यविधि

(1) समिति का गठन निम्नलिखित रूप में किया जाएगा :—

(क) मण्डल के अध्यक्ष

(ख) मण्डल के सचिव

(ग) मण्डल की कार्यपालिका समिति के सदस्यों में से कोई एक सदस्य

(घ) संचालक, लोक शिक्षण मध्यप्रदेश द्वारा मनोनीत एक सदस्य

(ङ) मण्डल द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं के कोई दो शिक्षक/व्याख्याता अथवा प्राचार्य

(च) शिक्षा सचिव द्वारा मनोनीत एक सदस्य

(2) मण्डल के अध्यक्ष तथा सचिव, समिति के क्रमशः अध्यक्ष तथा सदस्य सचिव होंगे.

(3) अध्याय-4 की धारा (1) के खण्ड (ग) में अंकित कार्यपालिका समिति का एक सदस्य कार्यपालिका समिति द्वारा निर्वाचित किया जावेगा.

(4) अध्याय-4 की धारा (1) के खण्ड (ङ) में अंकित मण्डल के दो सदस्य जो मण्डल द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं के शिक्षक/व्याख्याता अथवा प्राचार्य के पैनल में से मण्डल के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किये जावेंगे.

(5) समिति के मनोनीत सदस्यों की पदावधि तीन वर्षों की होगी. यह पदावधि उस दिनांक से प्रारम्भ समझी जाएगी जिस दिनांक को इन नियमों के अन्तर्गत गठित समिति की प्रथम सभा की बैठक होगी, परन्तु यह और भी निर्धारित तीन वर्ष की कार्य अवधि समाप्त हो जाने के उपरान्त ठीक उस समय तक विद्यमान समिति निरन्तर रहेगी जब तक कि नई समिति का गठन पूर्ण न हो जावे.

(6) यदि अध्यक्ष का यह विचार हो कि किसी सदस्य का समिति में अपने पद पर बना रहना लोकहित में नही हैं तो सभापति उसकी सदस्यता समाप्त करने का आदेश दे सकेगा और तदुपरान्त, वे इस बात के होते हुए भी कि उनकी सदस्यता की अवधि समाप्त नहीं हुई है, समिति का सदस्य नहीं रहेगा.

(7) समिति का कोई भी सदस्य अध्यक्ष को संबोधित किए गए पत्र द्वारा अपने पद का त्याग कर सकेगा, जो सभापति द्वारा उसके स्वीकृत किये जाने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

(8) समिति के किसी सदस्य की मृत्यु या पद त्याग के कारण से या अध्याय-4 की धारा (6) के अधीन सदस्य की सदस्यता समाप्त होने के कारण से या अन्य किसी कारण से होने वाली रिक्ति की दशा में ऐसी रिक्ति यथास्थिति निर्वाचित या नाम निर्देशन द्वारा यथाशीघ्र भरी जाएगी तथा रिक्ति के भरे जाने के लिये निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट व्यक्ति इतनी अवधि तक उस पद पर रहेगा जितनी अवधि तक वह व्यक्ति, जिसके स्थान पर वह इस प्रकार निर्वाचित या नाम निर्दिष्ट किया गया है, इस पद पर बना रहता.

(9) शिक्षक कल्याण कोष समिति की बैठक के लिए गण पूरक संख्या तीन रहेगी.

(10) समिति की बैठक वर्ष में उतनी बार जो कि मण्डल का सचिव कार्य संचालन हेतु आवश्यक समझें, आमंत्रित होगी किन्तु कम से कम वर्ष में एक बार समिति की बैठक होना अनिवार्य होगा.

(11) समिति की समस्त सभायें मण्डल के सचिव द्वारा आमंत्रित की जावेंगी.

(12) मण्डल के सभापति की अनुपस्थिति में शिक्षक कल्याण कोष समिति की बैठक में वही सदस्य उस विशिष्ट सभा का सभापतित्व करेगा जिसे समिति के सदस्य बहुमत से प्रस्तावित करे.

(13) समिति की प्रत्येक सभा का कार्यवाही विवरण अभिलेख के रूप में तैयार किया जाकर उसे अगली सभा में पुष्टीकरण हेतु प्रस्तुत किया जावेगा.

अध्याय-5 समिति की शक्तियां और कर्तव्य

(1) **समिति को यह अधिकार होगा कि.—**

(क) जिस प्रकार उचित समझे कोष की व्यवस्था करे.

(ख) प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु कोष का आय व्यय- पत्रक तैयार करें.

(ग) व्याख्यानों, शिक्षक एवं शालेय प्रतियोगिताओं, शैक्षणिक प्रदर्शनियों आदि का आयोजन करें और उनकी व्यवस्था करें.

(2) कोष उपयोग.—समिति द्वारा कोष का उपयोग निम्नांकित प्रयोजनों के लिये किया जा सकेगा:—

(i) बीमारी के उपचार हेतु सहायता राशि प्रदान करना.

(ii) दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने अथवा मृत्यु होने पर सहायता राशि प्रदान करना.

(iii) प्रदेश की शालाओं द्वारा प्रकाशित की जाने वाली शालेय पत्रिकाओं को पुरस्कृत करना.

(iv) सम-सामयिक विषयों पर व्याख्यानों का आयोजन करना.

(v) शैक्षणिक प्रदर्शनियों का आयोजन करना

(vi) शिक्षकों के बच्चों की उच्च व्यावसायिक शिक्षा यथा चिकित्सीय, अभियांत्रिकीय, प्रबंधन के शिक्षा के ख्याति प्राप्त संस्थानों में अध्ययन हेतु.

(vii) ऐसे अन्य सार्थक प्रयोजन जिन्हें समिति द्वारा अनुशंसित किया जाए.

(3) समिति का यह कर्त्तव्य होगा कि वे प्रत्येक वर्ष मण्डल की सामान्य सभा में कार्यवाहियों की संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत करें.

(4) (अ) समिति को यह अधिकार होगा कि वे इन नियमों के अन्तर्गत जैसा उचित समझे, किसी शिक्षक/शिक्षिका या उसके आश्रित को आर्थिक सहायता प्रदान करें, किन्तु यह होते हुए आर्थिक सहायता की अधिकतम सीमा जो एक शिक्षक/शिक्षिका या उसके आश्रित को दी जा सकेगी, रुपये 25000/- (रुपये पच्चीस हजार) होगी.

(ब) मृतक शिक्षक एवं गंभीर बीमारी (कैंसर, हृदय रोग आदि—चिकित्सक के अनुशंसानुसार) के आवेदन-पत्रों पर तुरन्त सहायता देने हेतु प्रकरण कार्यालयीन प्रक्रिया के तहत प्रस्तुत करते हुये मण्डल अध्यक्ष की स्वीकृति से संबंधितों को तत्काल सहायता प्रदान की जा सकेगी. बाद में प्रकरण आगामी बैठक में अनुमोदनार्थ रखा जावेगा.

(स) अशासकीय शालाओं के ऐसे शिक्षक जो गंभीर बीमारी से ग्रसित हों, को प्रकरण की गंभीरता के आधार पर नियमानुसार राशि प्रदान करने का अधिकार समिति को होगा.

(द) कैंसर एवं हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों के उपचार के लिये रुपये 25000/- (रुपये पच्चीस हजार) तक आर्थिक सहायता स्वीकृत की जा सकेगी.

अध्याय-6 मण्डल की शक्तियां

(1) मण्डल की कार्यपालिका समिति को यह अधिकार होगा कि वह कोई भी ऐसे निर्देश दें जो उसके मत से समिति के कृत्यों के संचालन में उचित हों. समिति इन निर्देशों को मूलतः पालन करने हेतु बाध्य होगी.

(2) मण्डल के अध्यक्ष का यह अधिकार होगा कि विशेष स्थिति में इन नियमों के अन्तर्गत समिति को सौंपी गई समुचित शक्तियों का स्वयं उपयोग करें.

(3) यदि इन नियमों के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में कोई शंका या कठिनाई उत्पन्न हो, तो सभापति इन नियमों के प्रयोजनों से असंगत न होने वाले ऐसे उपबन्ध कर सकेगा जो कि उसे शंका या कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक या हितकर प्रतीत हो. इन नियमों की व्याख्या करने का अधिकार भी सभापति को होगा.

अध्याय-7 कोष की व्यवस्था

(1) मण्डल द्वारा शिक्षकों को परीक्षाओं में मूल्यांकन कार्य का जो भी पारिश्रमिक भुगतान किया जावेगा उस धनराशि में से दो प्रतिशत कटोत्रा शिक्षक कल्याण कोष में जमा किया जावेगा.

(2) कोष हेतु शासकीय, अशासकीय अथवा अर्धशासकीय संस्थाओं से या किसी व्यक्ति विशेष से अनुदान अथवा उपहार स्वरूप प्राप्त होने वाली धनराशि को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार समिति को होगा.

(3) कोष की सभी धनराशियां भारतीय स्टेट बैंक या उसकी किसी शाखा में अथवा मण्डल द्वारा इस संबंध में अनुमोदित किसी अन्य अनुसूचित बैंक में जमा करायी जावेगी.

(4) इन नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये कोष निधि का उपयोग इन नियमों में उल्लेखित किए गए मामलों के प्रसंग में होने वाले प्रभारी तथा व्यय की देनगी के लिए और ऐसे किसी भी अन्य प्रयोजनों के लिये किया जावेगा जिसके लिए कि इन नियमों द्वारा या उनके अधीन समिति को शक्तियां प्रदान की गई है या उस पर कर्त्तव्य अधिरोपित किए गए हैं.

(5) सचिव इस बात को देखने के लिए उत्तरदायी होंगे कि कोष में एकत्रित सम्पूर्ण धन उन्हीं प्रयोजनों पर व्यय किया गया है जिनके लिए वह मंजूर किया गया है या आवंटित किया गया है.

(6) कोष की समस्त धनराशि एवं समस्त आय-व्यय की लेखा परीक्षा प्रत्येक वर्ष उन बाह्य लेखापालों द्वारा कराई जायेगी जो मण्डल की आय-व्यय लेखा परीक्षा हेतु नियुक्त होंगे.

(7) बाह्य लेखापालों द्वारा दी गई लेखा परीक्षा का प्रतिवेदन मण्डल की वार्षिक सभा में समिति द्वारा प्रस्तुत किया जावेगा.

अध्याय-8 कोष से आर्थिक सहायता पाने हेतु पात्रता

(1) केवल वे ही सेवारत शिक्षकगण इस योजना के अन्तर्गत सहायता पाने के पात्र होंगे जो कम से कम 05 वर्ष तक मध्यप्रदेश की किसी मान्यता प्राप्त संस्था में शिक्षक रह चुके हों.

(2) यदि किसी मान्यता प्राप्त संस्था के शिक्षक/शिक्षिका की सेवारत रहते हुए मृत्यु हो जायें तो उसके आश्रित आर्थिक सहायता पाने के पात्र होंगे.

(3) स्वयं शिक्षक/शिक्षिका अथवा उसकी मृत्यु की दशा में उसके आश्रित को केवल एक बार ही आर्थिक सहायता दी जावेगी.

(4) आर्थिक सहायता का दावा अधिकार रूपी नहीं होगा.

(5) शिक्षक कल्याण कोष से केवल मण्डल द्वारा संस्थाओं के प्राचार्यों पद तक के शिक्षकों को ही आर्थिक सहायता दी जायेगी.

(6) इलाज हेतु शिक्षक को आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई हो तथा बाद में शिक्षक की मृत्यु हो जावें तो ऐसी स्थिति में उसके आश्रित की स्थिति को ध्यान में रखकर उसे आर्थिक सहायता दिये जाने पर विचार किया जा सकेगा.

(7) यदि किसी शिक्षक की पत्नी शासकीय सेवा में हो एवं शासकीय कोष से वेतन पा रही हो तो उस शिक्षक को अपनी पत्नी के उपचार हेतु आर्थिक सहायता पाने की पात्रता नहीं होगी.

अध्याय-9 आर्थिक सहायता पाने की प्रक्रिया

(1) (अ) बीमारी के आधार पर उसी समय आर्थिक सहायता देने पर विचार किया जावेगा जब तद्विषयक शासकीय डाक्टर का प्रमाण-पत्र आवेदक की ओर से अग्रसर किया जावे.

(ब) बीमारी के प्रकरणों में संबंधित शिक्षक ने कब-कब कितने दिनों का अवकाश लिया इसकी जानकारी प्राचार्य से मंगाई जाये.

(स) चिकित्सा प्रमाण-पत्रों/मृत्यु प्रमाण-पत्रों की फोटो स्टेट कापी राजपत्रित अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित करवा कर मंगाई जावे.

(2) उन्ही मान्यता प्राप्त शालाओं के शिक्षकों/शिक्षिकाओं अथवा उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता प्रदान की जावेगी जो इस हेतु निर्धारित प्रपत्र पर इस आशय की प्रार्थना करेंगे (निर्धारित प्रपत्र इन नियमों के संलग्न हैं.).

(3) प्रार्थना-पत्र, सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल को संबोधित किए जावेंगे और यह कि प्रार्थना-पत्र सचिव को मान्यता प्राप्त संस्थाओं के प्राचार्यों के माध्यम से भेजे जावेंगे.

(4) आर्थिक सहायता की धनराशि शिक्षक/शिक्षिका या उसके आश्रित को धनादेश द्वारा संबंधित मान्यता प्राप्त संस्था के प्राचार्य के पते पर रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजी जावेगी.

डी. डी. अग्रवाल
सचिव,
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म. प्र. भोपाल.

प्रपत्र क्र. 01

मध्यप्रदेश, माध्यमिक शिक्षा मण्डल

शिवाजी नगर, भोपाल पिन–462011

दूरभाष क्रमांक 0755-2578594 E-mail- mpbse@mp.nic.in

क्रमांक/193/वि.प्रशि.केन्द्र/2017 भोपाल दिनांक 27/07/2017

प्रति,

कलेक्टर महोदय
समस्त जिले, मध्यप्रदेश

विषयः– माध्यमिक शिक्षा मण्डल शिक्षक कल्याण कोष विनियम, 2005 के अन्तर्गत आर्थिक सहायता।

माध्यमिक शिक्षा मण्डल शिक्षक कल्याण कोष विनियम 2005 के अन्तर्गत निम्नलिखित समसामयिक प्रयोजन हैं:–

1.1 "शिक्षक" या उन पर "आश्रित" की गंभीर बीमारी के उपचार हेतु सहायता राशि प्रदान करना।

1.2 "शिक्षक" या उन पर "आश्रित" की दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने अथवा मृत्यु होने पर सहायता राशि प्रदान करना।

1.3 स्वंय शिक्षक/शिक्षिका अथवा उसकी मृत्यु की दशा में उसके आश्रित को केवल एक बार ही आर्थिक सहायता दी जावेगी।

1.4 शिक्षक कल्याण कोष से केवल मण्डल द्वारा संस्थाओं के प्राचार्यो पद तक के शिक्षकों को ही आर्थिक सहायता दी जावेगी।

1.5 यदि किसी शिक्षक की पत्नी शासकीय सेवा में हो एवं शासकीय कोष से वेतन पा रही हो तो उस शिक्षक का अपनी पत्नी के उपचार हेतु आर्थिक सहायता पाने की पात्रता नहीं होगी।

2. "शिक्षक" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो मध्यप्रदेश के किसी भी मान्यता–प्राप्त संस्था में, शिक्षक के रूप में कम से कम 5 वर्ष का शैक्षणिक कार्य पूर्ण कर चुका हो एवं माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा संचालित किए जा रहे पाठ्यक्रम में शिक्षण कार्य करा रहा हो।

3. "आश्रित" से तात्पर्य केवल शिक्षक/शिक्षिका के पति/पत्नी से अथवा उसके अवयस्क पुत्र–पुत्री से है।

4. आपके जिले में पदस्थ शिक्षक या उन पर आश्रित, जिन्हें केंसर, किडनी, हृदय आदि गंभीर बीमारी हैं, ऐसे एक जिले से अधिकतम 10 आवेदकों तथा इसी प्रकार घायल होने अथवा मृत्यु होने के कारण अधिकतम 10 आवेदकों से निर्धारित प्रारूप मे प्राप्त आवेदनों के आधार पर चयन कर अपनी अनुशंसा सहित मण्डल कार्यालय को दिनांक 1 जनवरी 2018 तक प्रेषित करें।

उक्त प्रकरण प्राप्त होने पर मण्डल की शिक्षक कल्याण कोष समिति उक्त विनियमों के अन्तर्गत उन पर विचार करेगी साथ ही समिति की अनुशंसा पर उन्हें वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 मे सहायता राशि प्रदान की जा सकेगी।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
मध्यप्रदेश, भोपाल

संलग्नः– आवेदन का प्रारूप ।

मध्यप्रदेश, माध्यमिक शिक्षा मण्डल

शिवाजी नगर, भोपाल पिन–462011

दूरभाष क्रमांक 0755-2578594 E-mail- mpbse@mp.nic.in

शिक्षक कल्याण कोष से आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु आवेदन–पत्र

क्रमांक	विवरण	
1	आवेदक का नाम एवं यूनिक आइ.डी.नम्बर	
2	सेवारत संस्था का नाम	
3	कुल सेवाकाल (वर्षों में)	
	वर्तमान में सेवारत है/नही	
4	आवेदक का मोबाईल नम्बर	
5	(अ) आवेदक के बैंक का नाम	
	(ब) खाता क्रमांक	
	(स) ब्रांच कोड/आईएफसी कोड	
6	आधार कार्ड नम्बर	
7	(अ) क्या स्वयं के लिये सहायता राशि चाही गई है	हां/नही
	(ब) यदि नहीं, तो परिवार के जिस सदस्य के लिए सहायता राशि चाही जा रही है, उसका विवरण	आवेदक से रिश्ता आयु
8	आवेदक की मृत्यु होने पर (अ) मृत्यु प्रमाण पत्र	
	(ब) आवेदक के पति/पत्नी द्वारा सहायता राशि क्लेम किये जाने पर विवाह प्रमाण पत्र (ऐसा प्रमाण प्रस्तुत करें जिसमें पति/पत्नी के नाम का उल्लेख हों)	
9	कौन–सी बीमारी के कारण सहायता चाही गई है : (सक्षम चिकित्सक का प्रमाण–पत्र संलग्न किया जावें।	

10	यदि स्वंय के लिये आवेदन किया है तो बीमारी के कारण लिये गए अवकाश का विवरण (प्रमाणी करण प्राचार्य से कराकर भेजें)	
11	कौन से अस्तपाल मे इलाज चल रहा है या कराया गया ? (अ) क्या म.प्र.शासन द्वारा अस्पताल मान्यता प्राप्त है ?	
	(ब) क्या इस हेतु किसी भी कार्यालय से Reimbursement हुआ है ?	
	(स) Reimbursement हेतु कितनी राशि प्राप्त हुई है ?	
12	बीमारी पर कुल कितना व्यय किया गया है। कितना संभावित है (यदि व्यय हो चुका है तो प्रमाणित बिल तथा पावती संलग्न करें। यदि अभी व्यय संभावित है तो डॉक्टर/ चिकित्सालय द्वारा प्रमाणित प्राक्कलन संलग्न करें।)	
13	(अ) क्या पूर्व मे संचालक, लोक शिक्षण; म.प्र. द्वारा संचालित राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण कोष प्रतिष्ठान से आर्थिक सहायता हेतु आवेदन किया गया है ?	
	(ब) क्या वहाँ से कोई सहायता दी गई है ? यदि हाँ तो कितनी ?	
14	क्या किसी अन्य कार्यालय से आर्थिक सहायता हेतु आवेदन किया है ? क्या वहाँ से कोई आर्थिक सहायता प्राप्त हुई है ?	
15	क्या आपने माध्यमिक शिक्षा मण्डल से आर्थिक सहायता पूर्व में प्राप्त की थी ? यदि हाँ तो कब और कितनी ?	

स्थान .....

दिनांक .....

आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा पत्र

1 सेवारत शिक्षकों हेतु

1. (अ) मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैं म.प्र. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था में शिक्षक के रूप में कार्य कर रहा/रही हूँ और यह कि मेरे द्वारा दिए गया उक्त विवरण क्रमांक 1 से 15 तक मेरे विश्वास एवं जानकारी के आधार पर पूर्ण रूप से सत्य है।

स्थान .....

दिन ..... आवेदक के हस्ताक्षर

2 सेवानिवृत्त शिक्षकों हेतु

1. (ब) मैं घोषणा करता/करती हूँ कि म.प्र. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था ....मैं ..... तक सेवारत रहा/रही हूँ, और हम कि मेरे द्वारा दिया गया उक्त विवरण मेरे विश्वास एवं जानपकारी के आधार पर पूर्ण रूप से सत्य है।

स्थान :– आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांकः–

3 संस्था प्राचार्य द्वारा दिया जाने वाला प्रमाणीकरण

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि श्री/सुश्री ..... द्वारा दिया गया उपरोक्त विवरण मेरे विश्वास एवं जानकारी के आधार पर सही है, परिवार के जिए अधिकृत आश्रित व्यक्ति के लिए सहायता चाही गई है, की पूर्ण जानकारी उत्तरदायित्व के साथ अग्रेषित करता/करती हूँ।

प्राचार्य हस्ताक्षर

(पद मुद्रा सहित)

4 जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा दिये जाने वाला प्रमाणीकरण

मैं ..... प्रमाणित करता/करती हूँ कि श्री/सुश्री ..... द्वारा दिया गया उपरोक्त विवरण मेरे विश्वास एंव जानकारी के आधार पर सही है, परिवार के जिस अधिकृत आश्रित व्यक्ति के लिए सहायता चाही गई है, की पूर्ण जानकारी उत्तरदायित्व के साथ अग्रेषित करता/करती हूँ।

स्थान

दिनांक

जिला शिक्षा अधिकारी हस्ताक्षर

(पद मुद्रा सहित)

5 कलेक्टर द्वारा प्रमाणीकरण

श्री/सुश्री ..... द्वारा शिक्षा कल्याण कोष के अंतर्गत चाही गई सहायता राशि हेतु मैं अनुशंसा करता/करती हूँ।

दिनांक

स्थान

कलेक्टर की पद मुद्रा

(6) चिकित्सक द्वारा प्रमाणीकरण

मैं डॉ. ..... प्रमाणित करता/करती हूँ कि श्री ....रोग .....से पीड़ित है इनका उपचार मेरे द्वारा किया जा रहा है/गया है (रोग के उपरार/जांच पत्र संलग्न है।

शासकीय चिकित्सक के हस्ताक्षर

नाम.....

पद .....

पदमुद्रा .....

संलग्न :–

1. चिकित्सा प्रमाण–पत्र /अधिकृत चिकित्सक की अनुशंसा
2. बैंक पास बुक की छायाप्रति/कैन्सल्ड चैक
3. आधार कार्ड की छायाप्रति
4. आवेदक की मुत्यु होने की स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र/ऐसा प्रमाण पत्र जिसमें पती/पत्नी का नाम उल्लेखित हों।